न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 ..12../2018–19

श्री रमेश कुमार कन्दोई,
पिता– स्व0 हीरालाल कन्दोई
साकिन– वार्ड नं0– 12, झु0ति0
जिला– कोडरमा

02.07.2018 श्री रमेश कुमार कन्दोई, पिता– स्व0 हीरालाल कन्दोई, साकिन– वार्ड नं0– 12, पोस्ट– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि; मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, खाता सं0– 188, प्लॉट नं0– 7276; रकबा– 10 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 59/IV पर उनके पिता एवं चाचा; हीरालाल कन्दोई, केशरदेव कन्दोई, पेशरान स्व0 भूरामल कन्दोई एवं श्री बाबुलाल कन्दोई पेशरान गुलाब राय कन्दोई के नाम से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रही थी। अंतिम रसीद वर्ष 1977–78 तक निर्गत हुई है। उक्त पंजी II क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रसीद अद्यतन नहीं हो सका है।

आवेदक के द्वारा केवाला सं0– 1065 दिनांक 11.02.1964 तथा मालगुजारी रसीद सं0– 404149 वर्ष 1977–78, रसीद सं0– 345159 वर्ष 1972–73 एवं रसीद सं0– 360259 वर्ष 1969–70 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि मालगुजारी रसीद अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..09../..07../2018 को उपस्थापित करें।

02/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

09.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के पंजी II के पृष्ट सं0 59 वॉल्यूम IV पर **खाता सं0– 188**, रकबा– 0.10 ए0 भूमि, लगान– 0.15 रू0 केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरालाल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0– 59 वॉल्यूम IV क्षतिग्रस्त है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। **उक्त भूमि रैयती खाते की है।** अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "शपथपत्र सं0– 2304 दिनांक 29.05.2018 एवं डीड नं0– 1065 दिनांक 11.02.1964 के अनुसार मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत खाता सं0– 188 प्लॉट नं0– 7276 मधे रकबा– 10 डी0 जमीन विक्रेता गुलाब राम, पिता– स्व0 दीपचन्द्र राम, साकिन– तिलैया, हटिया रोड से श्री केशर देव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरामल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई वल्द श्री गुलाब राय कन्दोई द्वारा क्रय है, आवेदक रमेश कुमार कन्दोई के चाचा वो पिता होते हैं। नक्शा से सरजमीन का मिलान करते हुए स्थल जांच किया। जांच के दौरान पाया गया कि अगवाड़ी वो पिछवाड़ी (स्टेशन रोड वो हटिया रोड) के सामने आपस में बांटकर तीन–तीन दुकान एवं मकान बनाए हैं तथा शांतिपूर्वक दुकानदारी कर रहे हैं। जमीन निर्विवाद है।" अंचल अमीन के द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

Scanned with CamScanner

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "लगान रसीद काफी पुराना है। भंडार पंजी के अभाव में मिलान करना संभव नहीं है।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन तथा निर्गत लगान रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम-इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 18/07/2018 को उपस्थापित करें।

09/07/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

18.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

आवेदक उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0– 1065 दिनांक 11.02. 1964 तथा मालगुजारी रसीद सं0– 404149 वर्ष 1977–78, रसीद सं0– 345159 वर्ष 1972–73 एवं रसीद सं0– 360259 वर्ष 1969–70 मूल में प्रस्तुत किया गया, जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा का शपथ पत्र सं0– 2304 दिनांक 29.05.2018 दाखिल किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अंचल निरीक्षक से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 24/07/2018 को उपस्थापित करें।

18/07/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान अंचल निरीक्षक से मंतव्य प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि, मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत खाता सं0– 188 प्लॉट नं0– 7276 मधे रकबा– 10 डी0, रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 59/IV पर केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरालाल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 59/IV क्षतिग्रस्त हो चुका है।

Scanned with CamScanner

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत खाता सं0– 188 प्लॉट नं0– 7276 मधे रकबा– 10 डी0, भूमि माल– 0.15 रू0 की जमाबंदी केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरालाल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई, साकिन– स्टेशन रोड, वार्ड नं0– 12, झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, पोस्ट– झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद.......... की जाती है।

24/07/2018
लेखापित एवं संशोधित

24/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner